

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषदें,
(संलग्न विवरणानुसार)
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग-1

देहरादून:: दिनांक: 29 मार्च, 2019

विषय:- 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के कम में समस्त नगर पालिका परिषदों को मूल अनुदान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 की द्वितीय किश्त हेतु धनराशि अवमुक्त करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के कम में समस्त नगर पालिका परिषदों को मूल अनुदान (Basic Grant) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 की द्वितीय किश्त हेतु ₹23,35,68,000.00 (रुतेईस करोड़ पैंतीस लाख अड़सठ हजार मात्र) की धनराशि संलग्न विवरणानुसार अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संक्रमित की जा रही है:-

1. अनुदान का उपयोग मूलभूत नागरिक सुविधाओं के स्तर को सुधारने यथा: जल आपूर्ति, सीवरेज तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सेप्टैज प्रबंधन सहित स्वच्छता, जल निकासी, सामुदायिक परिसंम्पत्तियों का रख-रखाव, सड़कों, फुटपाथों एवं स्ट्रीट लाइट तथा कब्रिस्तान और श्मशानों के रख-रखाव हेतु किया जायेगा।
2. निदेशक, शहरी विकास विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये शहरी स्थानीय निकायों की जनसंख्या एवं क्षेत्रफल के नवीनतम आंकड़ों एवं चतुर्थ राज्य वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सूत्र के आधार पर 14वें वित्त आयोग की धनराशि अवमुक्त की जा रही है।
3. निदेशक, शहरी विकास निदेशालय निकायों की जनसंख्या एवं क्षेत्रफल के आंकड़ों की प्रमाणिकता के सम्बन्ध में उत्तरदायी होंगे।
4. अवमुक्त धनराशि के उपयोग के सम्बन्ध में निर्धारित एनेक्सर-III पर वांछित सूचना शहरी विकास विभाग द्वारा तत्काल उपलब्ध करायी जायेगी।
5. अवमुक्त की जा रही धनराशि कोषागार से आहरित करने के लिये बिल सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।
6. अवमुक्त धनराशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी के हस्ताक्षर से दिनांक: 30.06.2019 तक प्राप्त हो जाने चाहिए।
7. अवमुक्त धनराशि का समय से उपयोग करने हेतु शहरी विकास विभाग उत्तरदायी होगा। नगर विकास विभाग समस्त शहरी स्थानीय निकायों के उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का संकलन कर, संकलित उपयोगिता प्रमाण-पत्र सचिव, शहरी विकास से हस्ताक्षर कराकर उपलब्ध करायेगा।
8. शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागीय अधिकारी/ वित्त नियंत्रक / वरिष्ठ लेखा अधिकारी/ सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में कोई विचलन हो तो वित्त नियंत्रक/ विभागीय अधिकारी इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण

विवरण सहित तत्काल वित्त विभाग को दी जायेगी। वित्त विभाग की पूर्व अनुमति के बिना कोई विचलन मान्य नहीं होगा।

9. अलोटमेन्ट आईडी संलग्न है।
- 3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 की अनुदान संख्या-07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन- 01-नगरीय स्थानीय निकाय-192-नगर पालिका/ नगर निकाय-01-केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना-0103-केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामें डाला जायेगा।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,
(अमित सिंह नेगी)
सचिव, वित्त

संख्या- /वि.आ.निदे. /XXVII(1)/ 2018, तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबेरॉय बिल्डिंग, सहारनपुर रोड माजरा, देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल/कुमायूं मण्डल।
3. सचिव, शहरी विकास, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, वित्त आयोग प्रभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, सी.जो.ओ. काम्पलैक्स, नई दिल्ली।
6. निदेशक, वित्त आयोग निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
7. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23-लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
8. निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, 31/62, राजपुर रोड़, देहरादून।
9. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/ वरिष्ठ/ उप कोषाधिकारी-उत्तराखण्ड।
10. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
11. एन0आई0सी0सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव, वित्त

::देहरादून:: दिनांक: 27 मार्च, 2019

14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में मूल अनुदान के अन्तर्गत समस्त नगर पालिका परिषदों को वित्तीय वर्ष 2018-19 की द्वितीय किस्त हेतु अवमुक्त धनराशि का विवरण

(धनराशि हजार ₹ में)

जिला	क्र. सं.	स्थानीय निकाय का नाम	वित्तीय वर्ष 2018-19 की द्वितीय किस्त हेतु अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4
अल्मोड़ा	1	अल्मोड़ा	8023
	2	रानीखेत	2333
		योग	10356
बागेश्वर	3	बागेश्वर	2749
		योग	2749
चमोली	4	गोपेश्वर	6167
	5	जोशीमठ	9255
	6	गोचर	2736
	7	कर्णप्रयाग	2618
		योग	20776
चम्पावत	8	चम्पावत	3499
	9	टनकपुर	3931
		योग	7430
देहरादून	10	मसूरी	14005
	11	विकासनगर	3288
	12	डोईवाला	2441
	13	हरबर्टपुर	1996
		योग	21730
हरिद्वार	14	मंगलौर	14177
	15	लक्सर	4948
	16	शिवालिक नगर	8292
		योग	27417
नैनीताल	17	नैनीताल	10063

	18	रामनगर	11768
	19	भवाली	2366
		योग	24197
पौड़ी गढ़वाल	20	दुगड़डा	2333
	21	पौड़ी	10321
	22	श्रीनगर	5284
		योग	17938
पिथौरागढ़	23	पिथौरागढ़	12812
	24	धारचूला	2511
	25	डीडीहाट	1783
		योग	17106
रूद्रप्रयाग	26	रूद्रप्रयाग	3284
		योग	3284
टिहरी (नरेन्द्रनगर)	27	नरेन्द्रनगर	3326
	28	मुनिकीरेती-ढालवाला	8418
		योग	11744
टिहरी	29	टिहरी	9434
	30	चम्बा	2512
	31	देवप्रयाग	1385
		योग	13331
ऊधम सिंह नगर	32	बाजपुर	5883
	33	गदरपुर	4448
	34	जसपुर	13001
	35	खटीमा	3400
	36	किच्छा	9270
	37	सितारगंज	6516
	38	महुआखेड़ा गंज	2899
		योग	45417
उत्तरकाशी	39	उत्तरकाशी	5090
	40	बड़कोट	2927
	41	चिन्यालीसौंड	2076
		योग	10093
योग			233568

(₹ तेईस करोड पैंतीस लाख अड़सठ हजार मात्र)

(अमित सिंह नेगी)

सचिव।

बिभागाध्यक्ष का नाम - Secretary Finance**बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 2018-2019**

अनुदान शंख्या 007 (वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें)

लेखाशीर्षक- 3604 - स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन

01 - नगरीय स्थानीय निकाय

192 - नगर पालिका/नगर निकाय

01 - केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

03 - केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान

NonPlan Voted

S.No	Treasury	DDO Name	Allotment Id	Allotment Date	Previous Allotment	Current Allotment	Name of local bodies
1	0100-Dehradun	4183-District Magistrate (For Grants)Dehradun	H1903073782	28-MAR-2019	21638000	21730000	
2	3600-Nainital	4183-District Magistrate (For Grants)Nainital	H1903073784	28-MAR-2019	24197000	24197000	
3	3700-Almora	4183-District Magistrate (For Grants)Almora	H1903073778	28-MAR-2019	10356000	10356000	
4	3800-Pithoragarh	4183-District Magistrate (For Grants)Pithoragarh	H1903073786	28-MAR-2019	17021000	17106000	
5	3900-Narendra Nagar	4183-District Magistrate (For Grants)Narendra Nagar	H1903073788	28-MAR-2019	11744000	11744000	
6	4000-Chamoli (Gopeswar)	4183-District Magistrate (For Grants)Chamoli	H1903073780	28-MAR-2019	20776000	20776000	
7	4100-Uttarkashi	4183-District Magistrate (For Grants)Uttarkashi	H1903073791	28-MAR-2019	9993000	10093000	
8	4200-Garhwal	4183-District Magistrate (For Grants)Pauri	H1903073785	28-MAR-2019	17938000	17938000	
9	6100-New Tehri	4183-District Magistrate (For Grants)Tehri	H1903073789	28-MAR-2019	13139000	13331000	
10	6500-Haridwar	4183-District Magistrate (For Grants)Haridwar	H1903073783	28-MAR-2019	36440000	27417000	
11	7500-U S Nagar	4183-District Magistrate (For Grants)U S Nagar	H1903073790	28-MAR-2019	45278000	45417000	
12	8800-Champawat	4183-District Magistrate (For Grants)Champawat	H1903073792	28-MAR-2019	7430000	7430000	
13	8900-Bageshwar	4183-District Magistrate (For Grants)Bageswar	H1903073779	28-MAR-2019	2749000	2749000	
14	9000-Rudraprayag	4183-District Magistrate (For Grants)Rudraprayag	H1903073787	28-MAR-2019	3284000	3284000	
		Total :			241983000	233568000	